न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—203/2017/223 (2017/00203)

1. हजारी पुत्र स्व0 हमीरा, जाति रावत,
2. शंकर पुत्र स्व0 हमीरा, जाति रावत,
3. मोहन पुत्र स्व0 हमीरा, जाति रावत,
   निवासी ग्राम बोराज काजीपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।
2. लादू पुत्र स्व0 गंभीरा, जाति रावत,
3. श्रीमती हिरी पत्नी स्व0 गोपी, जाति रावत,
4. रामस्वरूप पुत्र स्व0 गोपी, जाति रावत,
5. श्रीमती हगामी पत्नी स्व0 कालू पुत्रवधु गोपी, जाति रावत,
6. मुकेश पुत्र स्व0 कालू पौत्र स्व0 गोपी, जाति रावत, नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती हगामी पत्नी स्व0 कालू, जाति रावत, समस्त निवासीगण ग्राम बोराज काजीपुरा, तह0 व जिला अजमेर । **(नाम तर्क)**
7. नौरत पुत्र कालू पौत्र गोपी, जाति रावत, (मृतक) जरिये वारिसानः—
   7/1— श्रीमती धन्नी पत्नी स्व0 नौरत, जाति रावत,
   7/2— प्रिन्स पुत्र स्व0 नौरत, जाति रावत, नाबालिग जरिये वली माता, श्रीमती धन्नी पत्नी स्व0 नौरत, जाति रावत, **(नाम तर्क)**
   7/3— राजवीर पुत्र स्व00 नौरत, जाति रावत, नाबालिग जरिये वली श्रीमती धननी पत्नी स्व0 नौरत, जाति रावत, **(नाम तर्क)**
   समस्त नि0 ग्राम बोराज काजीपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

8. श्रीमती सायरी पुत्री स्व0 हमीरा, जाति रावत, निवासी ग्राम हाथीखेड़ा, तहसील व जिला अजमेर । **(नाम तर्क)**

प्रफोर्मा **रेस्पोडेंट**

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 25.7.2017 अंतर्गत वाद संख्या 89/2017.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 6 एवं 7/1 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 21.8.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 25.7.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि चौसाला खसरा नंबर 904 रकबा 2–7–10 के खातेदार चौसाला जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 के अनुसार गंभीरा व हमीरा पिसरान रूपा दर्ज है जिनका विवादित आराजियात में 1/2, 1/2 हिस्सा है । विवादित आराजी के वर्किंग खसरा नंबर 1244, 1243 मिन, 1246 मिन एवं 1247 मिन बने है । हमीरा का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान वादीगण तथा प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 8 है तथा गंभीरा के वारिसान रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 7 है । गंभीरा पुत्र रूपा के 1/2 हिस्सा की भूमि का इंद्राज भू–प्रबंध विभाग के द्वारा वर्किंग जमाबंदी में गंभीरा पुत्र रूपा के वारिसान के नाम दर्ज कर दी गई किन्तु हमीरा पुत्र रूपा के 1/2 हिस्से की भूमि का इंद्राज वादीगण के नाम नहीं किया । इसलिये अधी0न्याया0 के समक्ष वाद बाबत् हक खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा आज्ञाप्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया । वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 7 नौरत पुत्र कालू का स्वर्गवास हो गया था, जिसके वारिसान को वाद पत्रावली पर लिये जाने हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 एवं आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 का दिनांक 10.12.2014 को प्रस्तुत कर दिया गया परन्तु अधी0न्याया0 के द्वारा वादी का वाद आदेश दिनांक 25.7.2017 द्वारा अबेटमेंट के आधार पर निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 7 नौरत पुत्र कालू का स्वर्गवास दिनांक 23.8.2014 को हो चुका था जिसके वारिसान को वाद पत्रावली के रिकार्ड पर लेने हेतु वादीगण के द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 एवं आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 का दिनांक 10.12.2014 को प्रस्तुत कर दिया था जो कि 107 दिव9स की अवधि के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था परन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश में अनुसूची के क्रम संख्या 120 में वर्णित अवधि के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर वादीगण का वाद अबेट कर निरस्त कर दिया जबकि विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार 90 दिवस एवं अबेटमेंट सेटेसाईट के लिऐ 60 दिवस यानि कुल 150 दिवस की अवधि के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । वादीगण द्वारा आवेदन पत्र 107 दिवस की अवधि के भीतर ही प्रस्तुत कर दिया गया था एवं आवेदन पत्र में वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने एवं अबेटमेंट सेटेसाईट किये जाने की प्रार्थना की थी । अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर विधि के सिद्धांतों के प्रतिकूल वाद को अबेट के आधार पर खारिज किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा था, मात्र चौसाला जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 की जमाबंदी में गंभीरा व हमीरा खातेदार थे तथा हमीरा के वारिसान प्रतिवादीगण के नाम वर्किंग जमाबंदी में 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया इस कारण वादपत्र में मात्र फोरमल पक्षकार ही बनाया गया परन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज कर बिना समझे अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि आदेश 22 नियम 10 जा0दी0 के अनुसार प्रतिवादी के स्वर्गवास हो जाने पर न्यायालय के

समक्ष सूचना दिये जाने का कर्त्तव्य प्रतिवादीगण का था, फिर भी वादीगण के द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 7 के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु आवेदन पत्र निर्धारित सीमा के अंतर्गत प्रस्तुत कर दिया गया था । अधी0न्याया0 को वाद को तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार अधिक से अधिक अधी0–न्याया0 को मात्र प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध ही वाद पत्र को अबेट किया जा सकता था, संपूर्ण वाद पत्र को अबेट कर निरस्त किये जाने में अधी0न्याया0 ने विधिक त्रुटि कारित की है । अपीलाधीन भूमि जिसमें 1/2 हिस्से पर हमीरा पुत्र रूपा एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात् अपीलांटस का ही विधिक एवं भौतिक कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी एवं कानूनी तथ्यों को नजरअदांज कर केवल मात्र तकनीकी आधार पर वाद को खारिज करने में त्रुटि कारित की है । बहस में यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 6 का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस रेस्पो0 संख्या 2 पूर्व से ही प्रकरण में पक्षकार नियुक्त है तथा रेस्पो0 संख्या 6 के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष भी नहीं चाहा गया है इसलिये रेस्पो0 6 का नाम तर्क किया जावे इस संबंध में अपीलांट ने हाजा न्यायालय में प्रा0पत्र दिनांक 16.5.2018 पेश किया है । इसी प्रकार एक अन्य प्रार्थना पत्र इसी आशय का दिनांक 21.8.2019 को पेश कर कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 7/2, 7/3 एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 8 के विरूद्ध भी अपीलांट ने कोई अनुतोष नहीं चाहा है । अतः इनके नाम भी पत्रावली से तर्क किये जावे। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. हमनें अपीलांटस के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.5.2018 एवं 21.8. 2019 का अवलोकन किया । रेस्पो0 6 का स्वर्गवास हो गया तथा उसके वारिस रेस्पो0 संख्या 2 पूर्व से ही पत्रावली पर उपलब्ध है इसलिये रेस्पो0 संख्या 6 का नाम तर्क किये जाने के आदेश दिये जाते है । इसी प्रकार अपीलांट ने रेस्पो0 संख्या 7/2, 7/3 एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 8 के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा है इसलिये रेस्पो0 संख्या 7/2, 7/3 एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 8 के नाम भी तर्क किये जाने के आदेश दिये जाते है ।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष घोषणात्मक वाद इस आशय से पेश किया कि ग्राम बोराज काजीपुरा, तह0 अजमेर स्थित भूमि चौसाला खसरा नंबर 904 रकबा 2–7–10 के वर्किंग खसरा नंबर 1244 रकबा 1–3–0, 1243 मिन रकबा 0–0–10 चाह, 1246 मिन रकबा 0–14–0, 1247 मिन रकबा 00–10–00 के चौसाला जमाबंदी मे खातेदार गंभीरा व हमीरा पि0 रूपा दर्ज थे इसमें से हमीरा के वारिसान अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 8 है व गंभीरा के वारिसान रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 7 है । अपीलाधीन भूमि में से चौसाला खसरा नंबर के अनुसार आधी भूमि गंभीरा के नाम दर्ज कर दी गई परन्तु हमीरा के हिस्से की आधी भूमि जिसके वारिसान अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 8 को भू–प्रबंध विभाग द्वारा गलत तौर से सिवायचक दर्ज कर देने के कारण घोषणात्मक वाद पेश किया गया था परन्तु दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 7 नौरत पुत्र कालू का स्वर्गवास दिनांक 23.8.2014 को हो गया था । इस संबंध में वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 एवं अलग से

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 दिनांक 10.12.2014 को प्रस्तुत किया गया । परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा वाद को मात्र तकनीकी आधार पर कि प्रार्थना पत्र 120 दिवस की अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है वाद का उपशमन के आधार पर निरस्त कर दिया । अपीलांटस/वादीगण जो ग्रामीण परिवेश के सदस्य होकर अनपढ़ काश्तकार है जिनके कानूनी जानकारी नहीं है फिर भी आवेदन पत्र 107 दिवस की अवधि में ही पेश कर दिया गया था जबकि कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र करने की अवधि 90 दिवस एवं उपशमन अपास्त करने की अवधि 60 दिवस निर्धारित है अर्थात् 150 दिवस होते है । अधी0न्याया0 ज्यादा से ज्यादा प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध ही वाद उपशमित कर सकती थी किन्तु अधी0न्याया0 ने संपूर्ण वाद को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि तकनीकी आधार पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये । अपीलांटस/वादीगण द्वारा आदेश 22 नियम 5 के साथ नियम 9 में उपशमन को अपास्त करने की प्रार्थना की थी एवं विलंब को क्षम्य करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश किया गया था जिसका कोई जवाब प्रतिवादीगण द्वारा नहीं दिया गया एवं न ही विरोध किया गया है ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर मृतक प्रतिवादी संख्या 7 नौरत के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । उपरोक्त विवेचन के अनुसार अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.7.2017 को निरस्त किया जाता है एवं वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर मृतक प्रतिवादी संख्या 7 नौरत पुत्र कालू के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है । प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 21.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर